

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2023—फाल्गुन 30, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
वर्ष 2023-24 के लिये भाँग, भाँगघोटा तथा भाँग मिठाई की फुटकर बिक्री
की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था

ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. सात-ठेका-भाँग-2023-24-365.—ग्वालियर, दिनांक 21 मार्च 2023-मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 93, दिनांक 16 मार्च 2023 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक सात-ठेका-भाँग-2023-24-343, ग्वालियर, दिनांक 16 मार्च 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- (1) कंडिका 7 में “नवीनीकरण आवेदन पत्र का मूल्य” के स्थान पर “नवीनीकरण/टेण्डर आवेदन पत्र का मूल्य” पढ़ा जायें.
- (2) कंडिका 12-क(8) की सातवीं पंक्ति में “दिनांक 20 मार्च 2023 दिन सोमवार” के स्थान पर “दिनांक 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार” पढ़ा जाये.

ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.